रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 1987/फाल्गुन 29, 1908
No. 125] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 1987/PHALGUNA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भू-तल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1987

अधिसूचनायें

सा.का.नि. 300(अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908(1908 का 15) की धारा 35 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा तटवर्ती जहाजों (बंबई के महापत्तन

के अन्तर्गत चलने वाले बजरों को छोड़कर) के मामले में पायलटेज के लिये शुल्क, जो कि बम्बई के महापत्तन पर उक्त धारा की उपधारा (1) के तहत लिए जाने वाले पायलटेज शुल्क के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर है, में निम्नलिखित अवधियों के लिये छूट देती है :—

1. 30-4-1985 से 5-5-1985 तक
2. 1-1-1986 से 31-12-1987 तक

[फा स. पी आर-14011/4/87-पी जी]

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 20th March, 1987

NOTIFICATIONS

G.S.R. 300(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby remits, in the case of the coastal vessels (except the barges plying within the Major Port of Bombay), the fees for pilotage equal to 10 per cent (ten per cent) of the fees for pilotage chargeable under sub-section (1) of the said Section at the Major Port of Bombay for the following periods :—

1. From 30-4-1985 to 5-5-1985
2. From 1-1-1986 to 31-12-1987.

[File No. PR-14011|4|87-PG]

सा.का.नि 301(अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908(1908 का 15) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बंबई के महापत्तन के लिये उक्त अधिनियम की धारा 36 के तहत नियुक्त प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा तटवर्ती जहाजों (बम्बई के महापत्तन के अन्तर्गत चलने वाले बजरों को छोड़कर) को पत्तन-देय राशियों, जो बंबई के महापत्तन पर उक्त अधिनियम की धारा 33 के तहत

लिये जाने वाले पत्तन के कुल पत्तन-देय-राशियो के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर है, की अदायगी से निम्नलिखित अवधियो के लिए मुक्त करती है:—

1. 30-4-1985 से 5-5-1985 तक
2. 1-1-1986 से 31-12-1987 तक

[फा स पी आर-14011/4/87-पी जी]

योगेन्द्र नारायण, सयुक्त सचिव

G.S.R. 301(E).—In exercise of the powers conferred by Section 34 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government, after consulting the authority appointed under Section 36 of the said Act for the Major Port of Bombay, hereby exempts the coastal vessels (except the barges plying within the Major Port of Bombay) from the payment of port dues equal to 10 per cent (ten per cent) of the total port dues, leviable under Section 33 of the said Act at the Major Port of Bombay, for the following periods

1. From 30-4-1985 to 5-5-1985.
2. From 1-1-1986 to 31-12-1987

[No. PR-14011|4|87-PG]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987